

आदेश

ज्योति देवी पुत्री श्री बहादुर सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत मलौर, खण्ड अम्बाला-1, जिला अम्बाला द्वारा सरपंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 02.01.2025 जो उपायुक्त, अम्बाला के सिफारिश पत्र क्रमांक: 697 दिनांक 03.02.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक

04.06.2025

पृ0 क्रमांक ई0सी0ए02-2025 / 24503-08

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

दिनांक : 04.06.2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं0 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, अम्बाला को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक: 697 दिनांक 03.02.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, अम्बाला
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अम्बाला-1 (जिला अम्बाला)।
5. ज्योति देवी पुत्री श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव मलौर, डा0 चौयरमस्तपुर, तहसील व जिला अम्बाला।
6. आई0टी0 सैल, मुख्यालय।

Sh. Govind/ Sh. Mohit


04/06/2025
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।